(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 35 /2023
नई दिल्ली, दिनांकः 13 दिसम्बर, 2023

विषयः पीली मटर की आयात निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्यात 50/2023 दिनांक 08.12.2023 के संदर्भ में, महानिदेशक, विदेश व्यापार पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली (वाईपी–आईएमएस) के तहत पंजीकरण की प्रक्रियाओं को निम्नानुसार निर्दिष्ट करते हैं–

क) आयातक डीजीएफटी वेबसाइट पर -> सेवाएं -> आयात प्रबंधन प्रणाली -> आयात निगरानी प्रणाली के तहत सेवाएं -> पीली मटर–आयात निगरानी प्रणाली पर वाईपी–आईएमएस ऑनलाइन के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी भरने और 500/– रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने पर आयातक को एक स्वचालित पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।

ख) आयातक को आयात खेप के आगमन की प्रत्याशित तिथि से अधिकतम 5 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आयातकों को आयात मंजूरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को स्वचालित पंजीकरण संख्या जमा करनी होगी।

ग) दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या किसी भी संख्या तक आयात खेप के लिए केवल 31 मार्च 2024 तक मान्य होगी। इसके अलावा, 1 स्वचालित पंजीकरण संख्या केवल 1 विशिष्ट मूल देश और 1 आयात पत्तन के लिए मान्य होगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः

आयात निगरानी प्रणाली (वाईपी–आईएमएस) के तहत पीली मटर (आईटीसी(एचएस) कोड 07131010) के आयात के पंजीकरण की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
13.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

[फा.सं. 01/89/180/02/एएम–21/पीसी–2[क]/ई–27607]